भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1866
01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

सकल घरेलू उत्पाद में मात्स्यिकी का योगदान

1866. श्री दिलीप शइकीया:
श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:
श्री रणजितसिन्हा नाईक निबांलकर:
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री देवजी पटेल:
श्री मोहन मंडावीः
श्री अरुण सावः
श्री एस.सी. उदासी:
श्री विजय बघेल :
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः
श्री सुनील कुमार सोनी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद में मात्स्यिकी क्षेत्र का वर्तमान योगदान कितना है और छत्तीसगढ़ सहित देश में मात्स्यिकी क्षेत्र द्वारा कितने मछुआरों और मत्स्य फार्मों को आजीविका प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी कटाई पश्चात् अवसंरचना और विपणन तक मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) उद्यमिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और मात्स्यिकी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मात्स्यिकी क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2,88,526.19 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल मूल्य) था, जिसमें कुल राष्ट्रीय जीवीए का 1.35% और कृषि जीवीए का 7.10% शामिल है । मात्स्यिकी क्षेत्र देश के लगभग 280 लाख मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 2.20 लाख मछुआरे और मत्स्य किसान भी शामिल हैं। पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्यन प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के विगत तीन वर्षों के दौरान, छत्तीसगढ़ में लगभग 8700 सहित देश में औसतन लगभग 6 लाख सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों को सालाना आजीविका सहायता प्रदान की गई है ।

(ख) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देश में मात्स्यिकी के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन सहित विभिन्न कदम उठा रहा है। कार्यान्वित योजनाओं में शामिल हैं; (i) मात्स्यिकी के एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए नीली क्रांति की केंद्र प्रायोजित योजना: 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3000 करोड़ रूपये के कुल केंद्रीय परिव्यय पर लागू की गई, (ii) फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट फ़ंड (एफआईडीएफ) रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 2018-19 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 7522.48 करोड़ रूपये के कुल फंड के साथ लागू किया गया, (iii) मछुआरों और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करना और (iv) 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रूपये के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमवाई)। प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और मजबूती, ट्रेसबिलिटी, एक मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में क्रिटिकल गैप्स को संबोधित करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, उद्यमिता के विकास और मात्स्यिकी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत उद्यमिता मॉडल पर एक अलग घटक डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है।

*****